

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रामनिवास बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) सू.अ. अपील संख्या 20 / 2024</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>28 / 03 / 2024</p>	<p>अपीलार्थी रामनिवास निवासी मंगल नगर, गुढा विश्नोईयान, तहसील लूणी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 20.12.2023 को (1) वर्तमान मोडी जोशियां पटवारी नियुक्ति पश्चात समय समय पर लिये मेडिकल अवकाशों हेतु प्रस्तुत मेडिकल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां एवं अन्य बिन्दु से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से जरिये पत्रांक 39 दिनांक 28.03.2024 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक 11 दिनांक 12.02.2024 से उपलब्ध करवा दी गई है।</p> <p>चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	